UPSP010009612020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10 सहारनपुर।

सत्र वाद संख्या– 117/2020

सरकार बनाम अफजाल उर्फ पैन्टर।

मु०अ०संख्या– 316/2019

अंतर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट

थाना–बिहारीगढ़, जिला–सहारनपुर।

आदेश

09.09.2026

पत्रावली लंच बाद आदेशार्थ पेश हुई। अभियुक्त **अफजाल उर्फ पैन्टर** की मृत्यु के संबंध में साक्षी **सी०डब्ल्यू० 1 हैड कांस्टेबल 546 कृष्ण कांत तिवारी** का बयान अंकित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त के विरूद्ध जारी वारंट का०सं० 17 ख के पश्च भाग पर उ०नि० मुनेश कुमार थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर द्वारा आख्या दी गयी है कि **अभियुक्त अफजाल उर्फ पैन्टर** पुत्र इस्लाम निवासी नौगावान थाना मिर्जापुर सहारनपुर की मृत्यु दिनांक 11.10.2025 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न है।

उक्त आख्या के संबंध में साक्षी **सी०डब्ल्यू० 1 हैड कांस्टेबल 546 कृष्ण कांत तिवारी**, थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया है, जिसमें उसने कथन किया गया है कि न्यायालय से प्राप्त वारंट की तामील हेतु थाना बिहारीगढ़ पर ई–मेल से प्राप्त हुआ था, जिसकी तामीला हेतु उ०नि० मुनेश कुमार को दिया गया था। उ०नि० मुनेश कुमार द्वारा उपरोक्त वारंट में तामीलोपरांत पाया गया है कि अभियुक्त **अफजाल उर्फ पैन्टर** की मृत्यु दिनांक 11.10.2025 को हो चुकी है। उक्त साक्षी ने साक्ष्य में उपनिरीक्षक द्वारा दाखिल आख्या कागज सं० 17 ख/1 को **प्रदर्श क–2** तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र कागज सं० 17 ख/2 को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है।

उपरोक्त प्रपत्रों एवं आख्या के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **अभियुक्त अफजाल उर्फ पैन्टर** की मृत्यु दिनांक **11.10.2025** को हो चुकी है। अतः अभियुक्त **अफजाल उर्फ पैन्टर** की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही **उपशमित** की जाती है। उक्त अभियुक्त प्रस्तुत मामले में एक मात्र अभियुक्त था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिये वाद को चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार–V)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1773)

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.09.09 18:12:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Saharanpur